

185

विश्वभारती
शांतिनिकेतन

संदर्भ सं. विभा/स्था-II/33

दिनांक : 22.09.2020

संयुक्त कुलसचिव (लेखा)
विश्वभारती, शांतिनिकेतन

विषय : छुट्टी यात्रा रियायत लाभ हेतु 10 दिन की अर्जित छुट्टी की नकदीकरण का प्रशासनिक अनुमोदन।

उपरोक्त के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने छुट्टी यात्रा रियायत लाभ हेतु निम्नलिखित कार्मिकों की 10 दिन की अर्जित छुट्टी की नकदीकरण मंजूर की है।

जिन कार्मिकों ने समायोजन हेतु एल टी सी अंतिम बिल जमा किया है उन्हें ही 10 दिन की अर्जित छुट्टी की नकदीकरण की जाएगी।

यात्रा समाप्ति की तारीख से 3 महीने के अंदर एल टी सी की अग्रिम राशि का समायोजन सुनिश्चित किया जाए।

विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	नाम पदनाम एवं विभाग	आईडी. न.	स्थान	यात्रा तिथि
1	डॉ. अरिंदम चटर्जी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, पी.एम.एच., विश्वभारती	1997058	कुलू-मनाली	11/03/2020- 17/03/2020

तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

हस्ता./-
कुलसचिव (कार्यकारी)
विश्वभारती

प्रतिलिपि :

1. संबंधित व्यक्ति (1)
2. गार्ड फाइल
3. व्यक्तिगत फाइल
4. हिंदी अधिकारी, राजभाषा प्रकोष्ठ
5. विश्वविद्यालय वेबमास्टर - कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।